रजिस्ट्री सं० डी०—(डे)—73

REGISTERED NO. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 29, 1979 (पौष 8, 1901)

No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 29, 1979 (PAUSA 8, 1901)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 665

भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 1661

भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . —

भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 1157

भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . . . —

भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . . —

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . . . 2999

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . . 3665

भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश . 1017

भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च मंत्रालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . 10893

भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस 733

भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं 137

भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . 3019

भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस 183

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	665
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1661
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1157
PART II—SECTION 1.—Act, Ordinances and Regulations.	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II.—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2999
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	3665
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	1017
PART III—SECTION 1.—Notification issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	10893
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	733
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	137
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3019
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	183

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 1979

सं० 72-प्रेज/79—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल तथा मणिपुर पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

1. श्री नरेन्द्र पाल,
कमांडेंट, 24वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल।

2 श्री निंगशेन नागरायपम
पुलिस-उप अधीक्षक,
मणिपुर पुलिस।

3. श्री एस० सुनीलचन्द्र शर्मा,
पुलिस-उप निरीक्षक,
मणिपुर पुलिस।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

11 नवम्बर, 1978 को श्री नरेन्द्र पाल, कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल, श्री निंगशेन नागरायपम, पुलिस उप-अधीक्षक, श्री एस० सुनीलचन्द्र शर्मा, पुलिस उप-निरीक्षक, मणिपुर तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल के चार अधिकारियों एवं मणिपुर पुलिस के एक अधिकारी को मिलाकर एक छापा मार दल का गठन किया गया जिसे गांव लैमडेंग के निकट पहाड़ी तलहटी में ठहरे हुए उग्रवादियों को पकड़ने के लिए तैनात किया गया था। छापामार दल 11/12 नवम्बर 1978 की रात को 8 मील की दूरी पैदल तय करने के पश्चात 12 नवम्बर, 1978 को प्रातः गांव लैमडेंग के निकट पहाड़ी तलहटी में पहुंचा। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल के कमांडेंट श्री नरेन्द्र पाल, श्री निंगशेन नागरायपम, पुलिस उप-अधीक्षक, श्री एस० सुनीलचन्द्र शर्मा, पुलिस उप-निरीक्षक तथा श्री एन० शामजय सिंह, सहायक उप निरीक्षक, मणिपुर पुलिस, के साथ कैम्प के द्वार पर पहुंचे और उग्रवादियों से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। यह सुन कर उग्रवादियों में से एक अपने दायें हाथ में एक हथगोला लिए कैम्प से बाहर आया। श्री नरेन्द्र पाल शीघ्रता से उस पर झपटे और उसको पकड़ लिया जबकि मणिपुर पुलिस के श्री सुनीलचन्द्र शर्मा ने उस के हाथ से हथगोला छीन लिया। वे उग्रवादी को 5/6 गज की दूरी तक घसीट कर भी ले गए। इस बीच गिरोह का नेता अपने हाथों में दो हथगोले लिए हुए कैम्प से बाहर आया और पुलिस दल को ललकारते हुए कहा कि वे या तो उसके साथी को छोड़ दें अन्यथा वह उनको मार डालेगा। पुलिस दल ने शीघ्रता से मोर्चा सम्भाला और उग्रवादियों पर गोली चलानी आरम्भ कर दी। गिरोह के नेता ने एक हथगोला श्री नरेन्द्र पाल, कमांडेंट केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल और दूसरे को श्री निंगशेन नागरायपम, पुलिस उप अधीक्षक, मणिपुर, पर फेंका। श्री नरेन्द्र पाल ने अपनी पिस्तौल से गोली चलाकर गिरोह के नेता को घायल कर दिया। गोलीबारी लगभग एक घन्टे तक जारी रही। तीन उग्रवादी मारे गए और काफी संख्या में हथियार तथा गोला बारूद के साथ गिरोह के नेता समेत तीन उग्रवादी पकड़े गए।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री नरेन्द्र पाल, कमांडेंट, निंगशेन नागरायपम, पुलिस उप-अधीक्षक, एस० सुनीलचन्द्र शर्मा, पुलिस उप निरीक्षक, ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए उत्कृष्ट वीरता, सूझ-बूझ एवं नेतृत्व का परिचय दिया।

2. ये पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12 नवम्बर, 1978 से दिया जाएगा।

सं० 73—प्रेज/79—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल तथा मणिपुर पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं।

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री राम सिंह,
कांस्टेबल, 24वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल।

श्री ए० रामाकृष्णन नायर,
कांस्टेबल, 24वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल।

श्री किशन पाल,
कांस्टेबल, 24वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल।

श्री देवी दत्त दास,
कांस्टेबल, 24वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल।

श्री एन० शामजय सिंह,
सहायक उप निरीक्षक,
मणिपुर पुलिस।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

11 नवम्बर, 1978 को मणिपुर पुलिस के श्री एन० शामजय सिंह, सहायक उप निरीक्षक तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल के सर्वश्री राम सिंह, ए० रामकृष्णन नायर, किशन पाल, देवी दत्त दास और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल के एक अधिकारी तथा मणिपुर पुलिस के दो अधिकारियों को मिलाकर एक छापामार दल का गठन किया गया जिसे गांव लैमडेंग के निकट पहाड़ी तलहटी में ठहरे हुए उग्रवादियों को पकड़ने के लिए तैनात किया गया था। छापामार दल 11/12 नवम्बर, 1978 की रात को पैदल चलकर 8 मील की दूरी तय करके 12 नवम्बर, 1978 की सुबह लैमडेंग गांव के निकट पहाड़ी की तलहटी में पहुंचा। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल के कमांडेंट श्री नरेन्द्र पाल, मणिपुर पुलिस के श्री निंगशेन नागरायपम, पुलिस उपअधीक्षक, श्री एस० सुनीलचन्द्र शर्मा, पुलिस उप-निरीक्षक तथा श्री एन० शामजय सिंह, सहायक उप निरीक्षक के साथ कैम्प के द्वार पर पहुंचे और उग्रवादियों को आत्मसमर्पण के लिए ललकारा। यह सुन कर उग्रवादियों में से एक अपने दायें हाथ में हथगोला लिए कैम्प से बाहर आया। श्री नरेन्द्र पाल शीघ्रता से उस पर झपटे और उसको पकड़ लिया जबकि मणिपुर पुलिस के श्री सुनीलचन्द्र शर्मा ने उसके हाथ से हथगोला छीन लिया। वे उग्रवादी को 5/6 गज की दूरी तक घसीट कर भी ले गए। इस बीच गिरोह का नेता अपने हाथों में दो हथगोले लिए हुए कैम्प से बाहर आया

और पुलिस दल को ललकारते हुए कहा कि वे या तो उसके साथी को छोड़ दें अन्यथा वह उसको मार डालेगा। पुलिस दल ने शीघ्रता से मोर्चा सम्भाला और उग्रवादियों पर गोली चलानी आरम्भ कर दी। गिरोह के नेता ने एक हथगोला श्री नरेन्द्र पाल कमांडेंट केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल और दूसरे को श्री निंगशेन नागरायपम पुलिस उप अधीक्षक मणिपुर, पर फेंका। श्री नरेन्द्र पाल ने अपनी पिस्तौल से गोली चला कर गिरोह के नेता को घायल कर दिया। गोलीबारी लगभग एक घन्टे तक होती रही। तीन उग्रवादी मारे गए और बाकी काफी संख्या में हथियार तथा गोलाबारूद के साथ गिरोह के नेता समेत तीन उग्रवादी पकड़े गए।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री राम सिंह, कांस्टेबल, ए० रामाकृष्णन नायर, कांस्टेबल किशन पाल, कांस्टेबल देवी दत्त वास, कांस्टेबल एवं एन० श्यामजय सिंह, सहायक उप-निरीक्षक ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए उत्कृष्ट वीरता एवं साहस का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12 नवम्बर, 1978 से दिया जाएगा।

दिनांक 21 दिसम्बर 1979

सं० 74 प्रेज/79—राष्ट्रपति यह निदेश देते हैं कि 1 मार्च, 1951 की अधिसूचना सं० 4 प्रेज/51 के अधीन 10 मार्च, 1951 को भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड 1 में प्रकाशित तथा समयसमय पर संशोधित राष्ट्रपति के पुलिस पदक तथा पुलिस पदक को नियंत्रित करने वाले नियमों में निम्नलिखित संशोधन किया जाए :—

पुलिस पदक

नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"किसी भी एक वर्ष में सराहनीय सेवा में लिए दिए जाने वाले पदकों की संख्या (बारों के अतिरिक्त) 475 से अधिक नहीं होगी। किसी भी एक वर्ष में शौर्य के लिए दिए जाने वाले पदकों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी।"

के० सी० मादप्पा, राष्ट्रपति के सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर 1979

संकल्प

सं० पी० सी० (पी०) 17/एन० सी० डी०/78-एम० एल० पी०—योजना आयोग के दिनांक 30 नवम्बर, 1978 के इसी संख्या के संकल्प के अधीन योजना आयोग द्वारा स्थापित पिछड़े क्षेत्रों के विकास से संबंधित राष्ट्रीय समिति की कार्यावधि दिनांक 30 जून, 1980 तक बढ़ाई गई है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए और सामान्य जानकारी के लिये इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

योगेन्द्र मोहन, निदेशक (प्रशासन)
योजना आयोग

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 दिसम्बर 1979

आदेश

सं० 27(26)/79-सी० एल० 2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उप-धारा (1) के खंड (2) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग, के निम्नांकित अधिकारियों को, कथित धारा 209क के उद्देश्य के लिये प्राधिकृत करती है :—

1. श्री एस० नारायणन, उप-निदेशक, निरीक्षण।

2. श्री सी० अच्युतन, सहायक निरीक्षण अधिकारी।

2. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दिनांक 22-7-72 के आदेश सं० 53(1)/70-सी० एल०-2 के अनुसार अनुसन्धान अधिकारी के रूप में श्री सी० अच्युतन के पक्ष में पहले के प्रेषित प्राधिकार को रद्द करती है।

सु० बलरामन, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 20th December 1979

No. 72-Pres./79.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force and the Manipur Police :—

Names and ranks of the officers

Shri Narinder Pal,
Commandant,
24th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Ningshen Ngaraipam,
Deputy Superintendent of Police,
Manipur Police.

Shri S. Sunilchandra Sharma,
Sub Inspector of Police,
Manipur Police.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 11th November, 1978, a raiding party, consisting of Shri Narinder Pal, Commandant, Central Reserve Police Force, Shri Ningshen Ngaraipam, Deputy Superintendent of Police, Shri S. Sunilchandra Sharma, Sub Inspector of Police, Manipur, four officers of the Central Reserve Police Force and one officer of the Manipur Police, was organised to capture extremists who were understood to be camping in the foot hills near Lamdeng village. The raiding party, after walking a distance of 8 miles during the night of 11th/12th November, 1978, reached the foot hills near Lamdeng village in the early morning of 12th November, 1978. The Commandant of the Central Reserve Police Force, Shri Narinder Pal along with Shri Ningshen Ngaraipam, Deputy Superintendent of Police; Shri S. Sunilchandra Sharma, Sub Inspector and Shri N. Shamjai Singh, Assistant Sub Inspector of Manipur Police, approached the gate of the camp and called upon the extremists to surrender. On hearing this, one of the extremists carrying a grenade in his right hand came out of the camp. Shri Narinder Pal immediately jumped on the extremist and captured him, while Shri Sunilchandra Sharma of the Manipur Police took away the grenade from his hands. He also dragged the extremist to a distance of 5/6 yards. In the meantime, the gang leader came out of the camp with two grenades in his hands and challenged the police party to release his companion on pain of death. The police party immediately took up position and started firing on the extremists. The gang leader threw one grenade on Shri Narinder Pal, Commandant, Central Reserve Police Force and the other on Shri Ningshen Ngaraipam, Deputy Superintendent of Police, Manipur. Shri Narinder Pal hit the gang leader with fire from his pistol. The exchange of fire continued for about an hour. Three extremists were killed and three captured including the gang leader along with large quantities of arms and ammunition.

In the encounter Shri Narinder Pal, Commandant, Shri Ningshen Ngaraipam, Deputy Superintendent of Police, Shri S. Sunilchandra Sharma, Sub Inspector of Police exhibited conspicuous gallantry, presence of mind and leadership in disregard of their personal safety.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police

Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 12th November, 1978.

No. 73-Pres./79.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force and the Manipur Police :—

Names and ranks of the officers

Shri Ram Singh,
Constable,
24th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri A. Ramakrishnan Nair,
Constable,
24th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Kishan Pal,
Constable,
24th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Devi Dutt Das,
Constable,
24th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri N. Shamjai Singh,
Assistant Sub Inspector,
Manipur Police.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 11th November, 1978, a raiding party, consisting of Shri N. Shamjai Singh, Assistant Sub Inspector of Manipur Police and sarvashri Ram Singh, A. Ramakrishnan Nair, Kishan Pal and Devi Dutt Das, Constables of the Central Reserve Police Force, one officer of the Central Reserve Police Force and two officers of the Manipur Police, was organised to capture extremists who were understood to be camping in the foot hills near Lamdang village. The raiding party after walking a distance of 8 miles during the night of 11th/12th Novmber, 1978, reached the foot hills near Lamdang village in the early morning of 12th November, 1978. The Commandant of the Central Reserve Police Force, Shri Narinder Pal along with Shri Ningshen Ngaraipam, Deputy Superintendent of Police; Shri S. Sunilchandra Sharma, Sub Inspector and Shri N. Shamjai Singh, Assistant Sub Inspector, of Manipur Police, approached the gate of the camp and called upon the extremists to surrender. On hearing this, one of the extremists carrying a grenade in his right hand came out of the camp. Shri Narinder Pal immediately jumped on the extremist and captured him, while Shri Sunilchandra Sharma of the Manipur Police took away the grenade from his hands. He also dragged the extremist to a distance of 5/6 yards. In the meantime, the gang leader came out of the camp with two grenades in his hands and challenged the police party to release his campanion on pain of death. The police party immediately took up position and started firing on the extremists. The gang leader threw one grenade on Shri Narinder Pal, Commandant, Central Reserve Police Force and the other on Shri Ningshen Ngaraipam, Deputy Superintendent of Police, Manipur. Shri Narinder Pal hit the gang leader with fire from his pistol. The exchange of fire continued for about an hour. Three extremists were killed and three extremists were captured including the gang leader alongwith large quantities of arms and ammunition. This was possible because of the team work, dedication to duty by the Central Reserve Police Force and the Manipur Police.

In the encounter Shri Ram Singh, Constable, Shri A. Ramakrishnan Nair, Constable, Shri Kishan Pal, Constable, Shri Devi Dutt Das, Constable and Shri N. Shamjai Singh, Assistant Sub Inspector exhibited conspicuous gallantry and courage in disregard of their personal safety.

2. Thse awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 12th November, 1978.

The 1st December 1979

No. 74-Pres.79.—The President is pleased to direct that the following amendment shall be made in the rules governing the award of the President's Police Medal and the Police Medal published in Part I, Section 1 of the Gazette of India of the 10th March, 1951, under notification No. 4-Pres./51 dated the 1st March, 1951, as amended from time to time :—

POLICE MEDAL

For Rule (3) the following shall be substituted :—

"The number of medals awarded for meritorious service in any one year (excluding BARS) shall not exceed 475. There will be no limit on the medals to be awarded for gallantry in any one year."

K. C. MADAPPA,
Secretary to the President

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 5th November 1979

RESOLUTION

No. PC(P)17/NCDB/78-MLP.—The term of the National Committee on the Development of Backward Areas set up by the Planning Commission vide its resolution of even No. dated the 30th November, 1978 has been extended upto 30th June, 1980.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution may be communicated to all concerned and that it may be published in the gazette of India for general information.

Y. MOHAN
Director (Administration)

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi, the 7th December 1979

ORDER

No. 27(26)79-CL-II.—In pursuance of clause (ii) of subsection (I) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (I of 1956), the Central Government hereby authorises the following Officers of the Government of India, in the Department of Company Affairs for the purpose of the said Section 209A :

1. Shri S. Narayanan, Deputy Director, Inspection.

2. Shri C. Achuthan, Assistant Inspecting Officer.

2. The Central Government hereby revokes the earlier authorisation issued in favour of Shri C. Achuthan as Investigating Officer *vide* Order No. 53(1)70-CL-II, dated the 22nd July, 1972.

S. BALARAMAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1979